



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान

कार्यकारी कुलसचिव

Kadar Nawaz Khan

Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-51/2020

दिनांक : 15.03.2020

कार्यालयादेश

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2020 को जारी किये गये पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय में संचालित सभी कक्षाएँ दिनांक 22.03.2020 तक बंद रहेगी। वर्धा मुख्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यालय/संकाय/विभाग/केंद्र उक्त अवधि में यथावत खुले रहेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

15/03/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली